राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर

पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार (आर0ए0एस0)

निर्णय दिनांक 05.11.2024

प्रकरण संख्या 36/2024

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि0 (रीको लि0) बनाम सरकार जरिये तहसीलदार सहाड़ा

–: आदेश :–

प्रार्थी के ''खाता /नक्शा दुरूस्ती'' प्रार्थना प्रत्र एवं पटवारी खांखलां व भू0अ0नि0 सालेरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सहाड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के अनुसरण में ग्राम खांखलां तहसील सहाड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में खाता संख्या 168 के खसरा नम्बर 4380 में से रीको का 3.62 हे0 व बिलानाम 1.48 हे0 के नामान्तरण संख्या 2103 दिनांक 29.07.2024 को वक्त तरमीम वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि/नक्शा तरमीम को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :–

क्र.सं.	ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	**खांखलां**	**खाता संख्या 168 के खसरा नम्बर 4380**	**नामान्तरण संख्या 2103 दिनांक 29.07.2024 को वक्त तरमीम खसरा नं0 4380 के दो टुकड़े**	**तहसीलदार सहाड़ा द्वारा संलग्न नक्शे अनुसारखसरा नं0 4380 के दो टुकडे के बजाय चार टुकड़े की तरमीम की जावें।**

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, गंगापुर

प्रकरण संख्या 36/2024 दिनांक 05.11.2024

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार सहाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी **राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि0 (रीको लि0)**को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, गंगापुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.11.16 11:49:55 IST
Reason: SelfAttested